

छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू](#) ने छत्तीसगढ़ सहित दस राज्यों में नए [राज्यपालों](#) की नियुक्ति की।

- असम से पूर्व लोकसभा सदस्य [रामेन डेका](#) को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

मुख्य बंदि

- वह वर्तमान राज्यपाल [वशिवभूषण हरचिंदन](#) का स्थान लेंगे, जिन्हें फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया था।
- राज्यपाल:
 - राज्यपाल की नियुक्ति और शक्तियों से संबंधित प्रावधान [भारतीय संविधान के भाग VI](#) में नहिति हैं।
 - [अनुच्छेद 153](#) के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
 - राज्यपाल राज्य के [संवैधानिक प्रमुख](#) के रूप में दोहरी भूमिका अदा करता है।
 - वह [भारतीय राजनीति की संघात्मक प्रणाली का हस्तिा](#) है और [संघ एवं राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी](#) का कार्य करता है।
 - भारतीय संविधान के [अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158](#) राज्यपाल के पद के लिये [पात्रता आवश्यकताओं](#) को निर्दिष्ट करते हैं।